नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई बेरीगंगा में खनन पर रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

जोधपुर. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की खंडपीठ ने एक आदेश पारित करते हुए जोधपुर के मंडोर स्थित बेरीगंगा वनखंड एवं बालसमंद नहर के आगोर क्षेत्र में संचालित समस्त वैध और अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

जोधपुर के पर्यावरणविद् रामजी व्यास ने राजस्थान पत्रिका मे बेरीगंगा मे अवैध खनन को लेकर श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित समाचारों को आधार बनाकर याचिका दायर की थी। पर्यावरण प्रेमी व्यास ओर से [illegible] ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष

राजस्थान पत्रिका की खबरें बनी आधार, ट्रिब्यूनल ने कहा-तीन सप्ताह में जवाब दे राज्य व भारत सरकार

एडवोकेट विकास बालिया ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता व्यास की ओर से एडवोकेट मनोज भंडारी, हेमंत बालाणी, हितेश सोनी की ओर से प्रस्तुत तर्क मे कहा गया कि राज्य सरकार ने 1962 मे बेरीगंगा वन क्षेत्र को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन खनन विभाग ने बेरीगंगा वन क्षेत्र मे खनन पट्टे जारी कर दिए, साथ ही क्षेत्र मे खनन माफिया की ओर से अवैध खनन गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके कारण बालसमंद नहर का आगोर क्षेत्र भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। ट्रिब्यूनल ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता यह सुनिश्चित करें। साथ ही, बेरीगंगा वन क्षेत्र एवं बालसमंद नहर आगोर क्षेत्र में किसी भी तरह की खनन गतिविधि बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमति के संचालित नही की जाएं। इसके लिए राज्य सरकार तथा भारत सरकार को अपना जवाब तीन सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की आगामी पेशी 3 दिसम्बर को होगी।